8

3/1/18

सेवामें

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

न्यायालय माण्डल, जिला भीलवाड़ा (राज0)

उगमा भील बनाम मोहन जाट

प्रकरण संख्या – 15/17 वाद

**प्रार्थनापत्र बाबत् राजीनामा**

महोदय जी,

उक्त अनवान प्रकरण में वादी उगमा भील पिता श्री घीसा जी भील, निवासी करणवास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा एवं की ओर से निम्न सादर निवेदन है कि :–

1– यह कि उक्त प्रकरण की तारीख पेशी दिनांक 23–02–2018 की नियत है।

2– यह है कि उक्त प्रकरण मे वादी एवं प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। इसलिये वादी उक्त प्रकरण को आगे नही चलाना चाहता है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजीनामा स्वीकार किया जाकर उक्त फाईल फैसल शुमार की जावे।

माण्डल

दिनांक :– 2-1-18

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

( नियम ३८)

## राजस्व अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

उमा बनाम मोहन

मिसल मुकदमा वाद नं० 15 सन 2017

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| | पत्र / प्रार्थनापत्र मय जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 9.5.17 को पेश हो ।<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>सहायक कलक्टर माण्डल | |
| 18.5.17 | पत्रावली ✓ जोरावरपुरा को पेश हुई।<br>आगामी दिनांक 12.10.17 को पेश हो। | |
| 12.10.17 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण के सम्मन वापस [illegible] तामील प्राप्त नहीं हुये। वकील वादी सम्मन [illegible] पेश करें। प्रतिवादीगण की तलबी बाबत [illegible] सम्मन [illegible] पेश करें। प्रतिवादीगण की तलबी पत्रावली पेश होने पर जारी हो। वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 24.11.17 को पेश हो। | |
| 24.11.17 | उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय [illegible] कार्य से [illegible] पद रिक्त है।<br>अतः पत्रावली [illegible] 23.2.18 को पेश हो।<br>रीडर<br>उपखण्ड अधिकारी माण्डल | |
| 9.1.18 | वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिगह से तलब की गई। वकील वादी उपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे बताया कि हमारे दोनो पक्षो के बीच राजीनामा हो चुका है। अब वादी आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इस कारण वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>माण्डल | 9.1.18 |

| दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज |
| --- | --- |
| | मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। न्यायहित मे वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के वाद पत्र मे आपसी राजीनामा हो जाने तथा वादी द्वारा वादपत्र मे अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहने के कारण वादी का वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>माण्डल |

Scanned by CamScanner